रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27042023-245490
CG-DL-E-27042023-245490

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 270]	**नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 27, 2023/वैशाख 7, 1945**
No. 270]	**NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 27, 2023/ VAISAKHA 7, 1945**

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2023

फा. सं. विनियम-11027/2/2022-विनियम-एफएसएसएआई.—कतिपय विनियमों में आगे संशोधन हेतु खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय प्रतिषेध एवं निर्बंधन)विनियम, 2011, जिसमें भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमोदन के साथ निम्न प्रारूप बनाने का प्रस्ताव करता है, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 92 की उप-धारा (2) के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त धारा की उप-धारा (1) के माध्यम से अपेक्षितानुसार, एतद्वारा प्रभावित होने वाले संभावित सभी व्यक्तियों को जानकारी और सूचना देते हैं कि कथित प्रारूप विनियम पर इस अधिसूचना जो सरकारी राजपत्र में प्रकाशित की जाएंगी, की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराए जाने की तिथि से साठ दिन की अवधि समाप्त होने के पश्चात, विचार किया जाएगा।

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हों, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, खाद्य एवं औषध प्रशासन, एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002 को अथवा ईमेल द्वारा regulation@fssai.gov.in पर भेजी जा सकती हैं;

आक्षेप या सुझाव, जो किसी भी व्यक्ति से उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में प्राप्त किए जाएंगे, उपरोक्त निर्धारित अवधि की समाप्ति से पहले, खाद्य प्राधिकरण द्वारा उन पर विचार किया जाएगा।

प्रारुप विनियम

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय प्रतिषेध एवं निर्बंधन) संशोधन विनियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे ।

2. खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विक्रय प्रतिषेध एवं निर्बंधन) विनियम, 2011 में,-

(i) विनियम 2.1 में, उप-विनियम (2.1.1) में, 'परन्तु यह भी कि विनियम 2.1.1 (5) में प्रतिषेध' शब्दों से प्रारम्भ और 'विहित सुसंगत मानको के अनुरूप हो l' शब्दों पर समाप्त होने वाले पांचवे परंतुक के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात-

"परन्तु यह कि विनियम 2.1.1 (5) में प्रतिषेध, खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 के विनियम 2.2 के उप-विनियम (2.2.1) के खंड (24) के अंतर्गत निर्दिष्ट बहु-स्रोत खाद्य तेल के संबंध में निष्क्रिय रहेगा और बहु-स्रोत खाद्य तेल को 15 लीटर से अधिक वजन वाले पैकेज में नहीं बेचा जाएगा।"

(ii) विनियम 2.3 के उप-विनियम 2.3.8 का लोप किया जायेगा;

(iii) विनियम 2.3 के उप-विनियम 2.3.14 में,-

(क) खंड (4) और (5) का लोप किया जायेगा;

(ख) खंड (11) में, शब्दों "एगमार्क प्रमाण चिन्ह् के अधीन" का लोप किया जायेगा;

(ग) खंड (13) में, शब्दों "एगमार्क प्रमाण चिन्ह् के अधीन ही" का लोप किया जायेगा;

(घ) खंड (17) और (18) का लोप किया जायेगा;

(iv) प्ररूप क का लोप किया जायेगा ।

जी. कमलावर्धन राव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./50/2023-24]

टिप्पण: मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना संख्या एफ.सं. 2-15015/30/2010 तारीख 1 अगस्त, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए और पश्चातवर्ती निम्न अधिसूचना संख्याकों द्वारा संशोधित किए गए:–

1. फा. सं. 4/15015/30/2011, तारीख 8 फरवरी, 2013;
2. फा. सं. स्टैंडर्ड्स/ओ एवं एफ/अधिसूचना (2)/एफएसएसएआई-2016, तारीख 23 अगस्त, 2016;
3. फा. सं. स्टैंडर्ड्स/एफ एवं वीपी/अधिसूचना (02)/एफएसएसएआई-2016, तारीख 23 अगस्त, 2016;
4. फा. सं. ए-1(1)/मानक/एमएमपी/2012, तारीख 12 अक्तूबर, 2017;
5. फा. सं. स्टैंडर्ड्स/ओ एवं एफ/अधिसूचना (8)/एफएसएसएआई-2017, तारीख 31 जुलाई, 2018;
6. फा. सं. मानक/साल्ट/एमआईएससी/(01)/एफएसएसएआई-2016(पीटी-1), तारीख 25 जून, 2019;

7. फा. सं. मानक/सहयोज्य-2/अधिसूचना/एफएसएसएआई-2018, तारीख 25 जून, 2019;
8. फा. सं. स्टैंडर्ड्स/सहयोज्य-3/अधिसूचना/एफएसएसएआई/2018, तारीख 21 जुलाई, 2020;
9. फा. सं. स्टैंडर्ड्स/एगमार्क-बीआईएस/02/एफएसएसएआई-2018, तारीख 20 अक्तूबर, 2020;
10. फा. सं. स्टैंडर्ड्स/ओ एवं एफ/अधिसूचना(12)/एफएसएसएआई-2019, तारीख 26 अक्तूबर, 2020;
11. फा. सं. विनियम/स्टैंडर्ड्स-केसरीदाल/एफएसएसएआई-2020, तारीख 12 जनवरी, 2021;
12. फा. सं. स्टैंडर्ड्स/ओ एंड एफ/अधिसूचना(13)/एफएसएसएआई-2019, तारीख 2 फरवरी, 2021;
13. फा.स. स्टैंडर्ड्स/एसपी-15/टी(टी(आईएमएसटी), तारीख 8 मार्च, 2021;
14. फा. सं. स्टैंडर्ड्स/03/अधिसूचना(आईएफआर)/एफएसएसएआई-2017(भाग-3), तारीख 31 अगस्त, 2022; और
15. फा. सं. आरईजी/प्रतिनिधित्व-एमएसईओ/एफएसएसएआई-2021, तारीख 05 सितंबर, 2022।

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th April, 2023

F. No. REG-11027/2/2022-Regulation-FSSAI.—The following draft of certain regulations, further to amend the Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on Sales) Regulations, 2011, which the Food Safety and Standards Authority of India proposes to make with the previous approval of the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub- section (2) of section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), is hereby published as required by sub-section (1) thereof, for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft regulations shall be taken into consideration after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public.

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India, FDA Bhawan, Kotla Road, New Delhi- 110002 or sent on email at regulation@fssai.gov.in .

Objections or suggestions which may be received with respect to the said draft regulations within the period specified above shall be considered by the Food Safety and Standards Authority of India.

Draft Regulations

1. (1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on Sales) Amendment Regulations, 2023.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in official Gazette.

2. In the Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on Sales) Regulations, 2011,-

   (i) In regulation 2.1, in sub-regulation (2.1.1), for the 5th proviso starting with words ‘Provided also that prohibition in Regulation 2.1.1’ and ending with words ‘the relevant standard prescribed by these regulations.’, the following shall be substituted, namely, -

   “Provided also that prohibition in Regulation 2.1.1 (5) shall remain inoperative in respect of Multi-Source Edible Oil specified under the clause (24) of sub-regulation (2.2.1) of regulation ‘2.2 of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011, and Multi-Source Edible Oil shall not be sold in a packages weighing more than 15 litres.”

   (ii) sub-regulation 2.3.8 of regulation 2.3 shall be omitted;

   (iii) in sub-regulation 2.3.14 of regulation 2.3,-

   (a) clause (4) and (5) shall be omitted;

   (b) in clause (11), the words “AGMARK certification mark bearing” shall be omitted;

(c) in clause (13), the words “AGMARK Certification mark bearing” shall be omitted;

(d) clause (17) and (18) shall be omitted;

(iv) The Form A shall be omitted.

G. KAMALA VARDHANA RAO, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./50/2023-24]

Note. - The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary vide notification number F. No. 2-15015/30/2010, dated the 1st August, 2011 and subsequently amended vide notification numbers:

(i) F. No. 4/15015/30/2011, dated the 8th February, 2013;

(ii) F. No. Stds/F&VP/Notification (02)/FSSAI-2016, dated the 23rd August, 2016;

(iii) F. No. Stds/O&F/Notification (2)/FSSAI-2016, dated the 23rd August, 2016;

(iv) F. No. A-1(1)/Standards/MMP/2012, dated the 12th October, 2017

(v) F. No. Stds/O&F/Notification (8)/FSSAI-2017, dated the 31st July, 2018;

(vi) F. No. Stds/Salt/Misc/01/FSSAI-2016 (pt-1), dated the 25 June, 2019;

(vii) F. No. Stds/Additives-2/Notification/FSSAI/2018, dated the 25 June, 2019;

(viii) F. No. stds/Additive-3/notification/FSSAI/2018, dated 21 July, 2020;

(ix) F. No. Stds/Agmark-BIS/02/FSSAI-2018, dated 20th October, 2020;

(x) No. Stds/O&F/Notification(12)/FSSAI-2019, dated 26th October, 2020;

(xi) F.No.Reg/Stds-Khesari dal/FSSAI-2020, dated 12th January, 2021;

(xii) F. No. Stds/O&F/Notification(13)/FSSAI-2019, dated 2nd February, 2021;

(xiii) F. No. Stds/SP-15/T[T(IMST)], dated 8th March, 2021;

(xiv) F. No. Stds./03/Notification(IFR)/FSSAI-2017(part-3), dated 31st August, 2022;and

(xv) F.No. REG/Representation-MSEO/FSSAI-2021, dated 5th September, 2022.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA